न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 19/2021
जीसीएमएस न0 :– 2021/70
दायर दिनांक :– 30.06.2021
निर्णय दिनांक :– 29.08.2023

अनवान

1. प्रकाश पिता मांगीलाल उर्फ मांगु जाति नाई, उम्र 35 वर्ष निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता नारायण लाल जाति नाई उम्र व्यस्क निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्री गणेश पिता नारायण लाल जाति नाई, निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. श्रीमती जमनी पत्नि मांगीलाल उर्फ मांगु जाति नाई, निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. श्री शम्भुलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगु जाति नाई, निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 77 निर्णय दिनांक 19.05.1989 तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

उपस्थित :–

1– श्री, प्रकाश चन्द्र खटीक अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 29.08.2023

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अधीनस्थ न्यायालय– तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा के द्वारा राजस्व ग्राम मोखमपुरा, पटवार हल्का सकरावास में स्थित भूमि के राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम प्रकाश के बजाय कैलाश सहवन से गलत दर्ज हो गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर विधि की सुस्थापित प्रकियानुसार रेस्पोडेण्टस् की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

सर्वप्रथम उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद के बिन्दु पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण न्यायिक दृष्टि से प्रथम दृष्टया साबित नही होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मेमो मे वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है, उक्त भुमि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा में है, अपीलार्थी प्रकाश के एक भाई शम्भुलाल है एवं दुसरे सहखातेदार है, राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम प्रकाश के बजाय कैलाश सहवन से गलत दर्ज हो गया है जबकि मांगीलाल उर्फ मांगु के कैलाश नाम का कोई पुत्र संतान नहीं है। मांगीलाल उर्फ मांगु के पुत्र प्रकाश एंव शम्भुलाल दोनो ही वर्तमान् में बालिग हो चुके है जबकि राजस्व रेकार्ड में नाबालिग के नाम से ही दाखिला लगा हुआ है, जो भी हटवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, इन्ही पक्षकारों के नाम पर राजस्व ग्राम मोर्रा मे भी इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड में नाम का चक्कर पडा था, उसकी माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड की जाकर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय करने हेतु भेजी गई थी जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा द्वारा किया जा चुका है, परन्तु जिस भूमि का निर्णय किया, वह राजस्व ग्राम मोर्रा में स्थित है तथा उसी प्रकार नाम परिवर्तन करने हेतु वर्तमान में इस प्रकरण में जो भूमियां है, वह राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का सकरावास में स्थित होने से यह अपील नाम शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत की जा रही है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 19.05.1989 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील राजस्व ग्राम मोखमपुरा का नामान्तरकरण संख्या 77 निर्णित दिनांक 19.05.1989 में श्री नारायण पिता रूपा व मांगू पिता नारायण की मृत्यु होने से उनके वारिसान श्री भैरूलाल, गणेश पिता नारायण शम्भु, कैलाश नाबा बवि माता जमनी बेवा मांगु का नाम नवीन प्रविष्टि में आया, उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में सहमति विभाजन होने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 68 में आराजी नम्बर 328/22, 329/22, तथा 330/22 किता 3 रकबा 0.7445 हैक्टेयर में नाबालिग कैलाश पुत्र मांगु संरक्षक जमनी 1/6 नाई सा0 मौर्रा खातेदार, गोरीदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र 5/12 अहीर सा0 सकरावास खातेदार

दर्ज है, मौतबिरान देह न जाहिर किया कि कैलाश का वास्तविक नाम प्रकाश पूत्र मांगीलाल है, तथा वर्तमान में उक्त आराजियात में हिस्से अनुसार प्रकाश पुत्र मांगीलाल नाई काबिज है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में बहस , विधिक नजीरों, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया, दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रथमदृष्टया उक्त नामान्तरण बिना नियमानुसार जॉच व विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वीकृत किये जाने से अपास्त होने योग्य है, अतः न्यायहित में उक्त नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 19.05.1989 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उपरोक्त सभी आब्जरवेशनस् के साथ दृष्टिगत विधिक हित वाले सभी पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेजी, साक्ष्य– सबुतों व न्यायिक गुणावगुण के आधार पर सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करे, तथा नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करें, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

नरेश 28/08/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द